न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 43/2017 Gcms No. 2017/00238
दायरा तिथि : 01.11.2017
आदेश दिनांक 8-11-2021

प्रार्थी :–
देवाराम पुत्र अनाजी जाति मेघवाल
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
स्व. मेहताबकुंवर पत्नि जुहारसिंहजी के वारिस स्व. दलपतसिंह पुत्र जुहारसिंह के कायम मुकाम वारिसान:–
1. मंगलसिंह पुत्र दलपतसिंहजी
2. स्व. मोहर कंवर पत्नि दलपतसिंहजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   2/1 रतनसिंह पुत्र दलपतसिंहजी
   2/2 अन्तरकंवर पुत्री दलपतसिंहजी
   2/3 भंवरकुवर पुत्री दलपतसिंहजी
   2/4 सूरज कुवर पुत्री दलपतसिंहजी तमाम जाति से राजपुत
   निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थीगण ....अनुपस्थित

–:: आदेश ::– दिनांक : 8-11-2021

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(रिव्यु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 सी.पी.सी.)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के राजस्व वाद संख्या 2/03 अनवान देवाराम बनाम मेहताबकंवर के कामु.दलपतसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 19.06.2017 को पारित आदेश गलत होने से रिव्यु प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिव्यु किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य में चल रहा था, जिस पत्रावली को केम्प में ले जाकर राजस्व कोर्ट मेन्युल व सी.पी.सी. आदि में बताई गई प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुये प्रार्थी वादी का वाद खारिज कर दिया, जबकि वादग्रस्त भूमि वादी की माता को आवंटन की हुई भूमि थी जिस पर वक्त आवंटन से प्रार्थी का कब्जा रहा है। अतः न्यायालय द्वारा केम्प में दिनांक 19.06.2017 को पारित आदेश को रिव्यु कर प्रकरण में मैरिट पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2/1 रतनसिंह पुत्र मंगलसिंह का नोटिस प्रोसेस सर्विस के माध्यम से तामील हुआ, तथा अप्रार्थी संख्या 2/2 लगाय 2/4 की तामील प्रोसेस सर्विस से नहीं होने से नोटिस अखबार में छाया करवाये गये। अप्रार्थी संख्या 2/2 लगाय 2/4 के नोटिस अखबार में छाया होने के बावजुद वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से तथा अप्रार्थी संख्या 2/1 रतनसिंह पुत्र मंगलसिंह नोटिस तामील के बावजुद नियत पेशी दिनांक 7.3.2018 व उसके बाद की नियत पेशीयो पर अनुपस्थित रहने से न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.10.2019 से अप्रार्थी संख्या 2/1 व 2/2 लगाय 2/4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 मंगलसिंह पुत्र दलपतसिंह की तामील शेष रहने से वकील प्रार्थी के आवेदन पत्र पर आदेश 05 नियम 9(क) के प्रावधानो अनुसार न्यायालय आदेशिका दिनांक 4.12.2019 से नोटिस जारी करते हुये वकील प्रार्थी को नोटिस दस्ती दिया गया। दिनांक 16.12.2019 की नियत पेशी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद नियत पेशी दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी संख्या–01 मंगलसिंह पुत्र दलपतसिंह वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण को रिव्यु प्रार्थना पत्र की बहस के लिये रखा गया। प्रकरण बहस के लिये लंबित रहते वकील प्रार्थी द्वारा निर्णित पत्रावली को तलब किये जाने का अनुरोध करने से निर्णित पत्रावली राजस्व वाद संख्या 2/03 देवाराम बनाम मेहताबकंवर के कामु. दलपतसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 19.06. 2017 को तलब कर पत्रावली के संलग्न नत्थी करते हुये वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी द्वारा अपनी माता को आवंटित भूमि की खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया था, जिसमें वादी पक्ष की साक्ष्य पुर्ण होने के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये मुकर्र थी। जिस पत्रावली को केम्प में रखते हुये राजस्व कोर्ट मेन्युल, सी.पी.सी. एवं टिनेन्सी एक्ट. के प्रावधानो की अनदेखी करते हुये प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य को बंद करते हुये वादी पक्ष का वाद दिनंक 19.06.2017 की आदेशिका से खारिज कर दिया, जो आदेश गैर कानूनी होने से धारा 229 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो एवं आदेश 47 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो के अनुसार रिव्यु कर प्रकरण को गुणावगुणा पर निर्णित किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 43/2017 Gems No. 2017/00238
अनवान देवाराम बनाम दलपतसिंह के कामु. मंगलसिंह वगैरा
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(रिव्यु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 सी.पी.सी.)

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड यथा पुर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या 2/03 की आदेशिकाओ का अवलोकन किया गया। आदेशिकाओ के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि प्रकरण दिनांक 30.01.2003 को संस्थापित हुआ तथा विभिन्न प्रक्रियाओ से गुजरते हुये दिनांक 21.03.2017 को वादी पक्ष की साक्ष्य बंद करते हुये पत्रावली को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 25.04.2017 की नियत पेशी को प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य उपस्थित नही होने से समय अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 19.06.2017 को साक्ष्य हाजिर रखने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 19.06.2017 की आदेशिका उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिये महत्वपूर्ण है। आदेशिका **दिनांक 19.06.2017 इस प्रकार है–** पत्रावली पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, 2017 केम्प कोर्ट धणी में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारो को लोक अदालत के जारी नोटिस बाद तामील कार्यवाही के प्राप्त हुये, जो शामिल मिसल हो। वादी देवाराम उपस्थित। प्रतिवादी बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित। उपस्थित वादी को सुना गया। वादी ने प्रकरण का कानून के अनुसार निर्णय करने हेतु सहमति दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर हैं कि वादी ने उक्त वाद में ग्राम धणी में स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 453 रकबा 5 बीघा दिनांक 23.11.79 को वादी की माता पनकी को आवंटित भूमि के भू0प्रबन्ध बाद बने नये खसरा नंबर 542 मेंसे रकबा 0.80 हैक्टर मौके पर कब्जे अनुसार इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग की। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष का दावा हैं कि ग्राम धणी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 542 रकबा 1.59 हैक्टर प्रतिवादी पक्ष की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हैं, जिस पर कभी भी वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। इस प्रकार प्रकरण में जाहिर हैं कि वादी को आवंटन के पश्चात् भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं हुई तथा इस दौरान् सैटलमेंट ऑपरेशन शुरू होने से प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार सिलिंग में आवंटित भूमि का नामान्तरकरण ही वादी के नाम दर्ज नहीं हुआ, जिससे भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटि उक्त प्रकरण में जाहिर ही नहीं हैं। जिससे वाद वादी खारिज किया जाता हैं। परन्तु प्रकरण में वादी को सिलिंग सरप्लस भूमि आवंटन हुई, यदि सिलिंग आवंटित भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं हो तो विधि अनुसार सिवाय चक दर्ज होनी चाहिये। जबकि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा धणी के गत् खसरा नंबर 453 रकबा 5 बीघा के भू0भाग से बने हाल खसरा नंबर 542 रकबा 1.59 हैक्टर बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि 5 बीघा के तूल्य भूमि 0.80 हैक्टर सिवाय चक दर्ज होनी चाहिये। अतः वादी का वाद खारिज हो चुका हैं। परन्तु तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि इस सबंध में जांच कर धणी के गत् खसरा नंबर 453 रकबा 5 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 542 रकबा 1.59 हैक्टर मेंसे 5 बीघा के तूल्य भूमि 0.80 हैक्टर के सबंध में जांच कर नियमानुसार सिवायचक दर्ज करने हेतु वाद दायर करने की कार्यवाही कर पालना 15 दिवस में पेश करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस प्रकार आदेशिका दिनांक 19.06.2017 के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि प्रकरण में लोक अदालत के नोटिस पक्षकारान् को जारी होने के बाद वादी पक्ष के उपस्थित होने पर पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वादी की माता पनकी को सिलिंग में आवंटित भूमि का नामान्तरकरण वादी पक्ष के नाम दर्ज नहीं होने से प्रकरण दुरस्ती का साबित नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया गया, परन्तु प्रतिवादी पक्ष के नाम गलत रूप से भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज करने से खसरा नंबर 542 रकबा 1.59 हैक्टर मेंसे 5 बीघा के तूल्य भूमि 0.80 हैक्टर को जांच के पश्चात् सिवायचक दर्ज करने के लिये तहसीलदार, बाली को निर्देश प्रदान किये गये। इस प्रकार उक्त पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं है तथा साथ ही प्रथम दृष्ट्या दिनांक 19.06.2017 को पारित आदेश गुणावगुण पर पारित स्पष्ट एवं पुख्ता आदेश है, जिस आदेश को प्रार्थी पक्ष द्वारा रिव्यु किये जाने की मांग की गई हैं।

इस सबंध में धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **पुनर्विलोकन 1. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन–(1) जो कोई व्यक्ति–** (क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई हैं, (ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं हैं, अथवा

(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से,

अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया गया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाये, वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।

पेज लगातार....

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 43/2017 Gcms No. 2017/00238
अनवान देवाराम बनाम दलपतसिंह के कामु. मंगलसिंह वगैरा
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(रिव्यु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 सी.पी.सी.)

(2) वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा हैं, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है वहां के सिवाय कर सकेगा जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनो के बीच सामान्य है या जहां प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील न्यायालय में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता हैं।

इसी प्रकार Scope of Review-Powers Of Board of Revenue under S.229 not unlimited – such powers are subject to conditions mentioned in civil procedure code as provided by S. 229 itself.

In a review the court cannot sit in appeal over decision sought to be reviewed. The court only interfere by way of review if requirements of O. 47 R.1. read with S. 229 of R.T. Act are fulfilled.

An error can be said to be appearent on face of record within meaning of R.1. only when it can be noticed without going deep in record and trying to find circumstances in which it was given. Decision of admissibility of document can not be said to be a mistake of law apparent on face of record.

The scope of review is not same as that of appeal.

It is necessary for the applicant to show existence of an error apparent on record or other grounds enumerated in the rule. The court deciding a review petition is not required to go into the correctness or otherwise of the decisions of the lower court or to examine the question of exercise of jurisdiction by those courts. Indeed, the scope of an application for reviewing the order pronounced in the revision case cannot be wider than that of the revision. The scope of review under this section is subject to the provisions of order 47 Rule 1 c.p.c. which describes the circumstances in which the powers of review can be invoked.

इस प्रकार रिव्यु के सबंध में न्यायालय को सिमित अधिकार दिये गये है, जिसके तहत प्रथम दृष्ट्या लिपिकीय भूल दृष्टिगोचर होती हो, अथवा ऐसे तथ्य जो निर्णय के समय प्रकट नहीं किये जा सके थे, निर्णय के पश्चात् प्रकट किये गये हो जो तथ्य प्रकरण के न्यायपुर्ण निर्णय के लिये आवश्यक हो। इतना सभी कुछ होते हुये न्यायालय के निर्णय को रिव्यु के माध्यम से उल्टा नहीं जा सकता है। हस्तगत् प्रकरण में उक्त स्वीकार्य तथ्य हैं कि पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 में वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद में भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटि नहीं होकर वादी की माता पनकी को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण वादी की माता के जीवनकाल तक नही होने से वाद साबित नहीं होने से खारिज किया गया है। अब प्रार्थी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में पुनः उन्ही तथ्यो को आधार बनाते हुये दिनांक 19.06.2017 को पारित आदेश को रिव्यु के माध्यम से उल्टने का अनुतोष चाहा जा रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलीय होने से रिव्यु प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, दिनांक 19.06.2017 का आदेश सम्पुर्ण तथ्यो को समावेशित करते हुये स्पष्ट एवं विस्तृत आदेश है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या कोई त्रुटि परीलक्षित नहीं होती है, तथा साथ ही प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका समावेश पारित आदेश में नहीं किया गया हो। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र रिव्यु के सबंध में विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो पर खरा नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर पुर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या 2/03 देवाराम बनाम मेहताबकंवर के कामु. दलपतसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णय दिनांक 19.06.2017 के संलग्न हो।

(श्री [illegible])
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 8-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner